Dhanbad,Dtd-20.06.24 Page No-07

www.livehindustan.com
हिन्दुस्तान
भरोसा नए हिन्दुस्तान का
गुरुवार 20 जून 2024, धनबाद
केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट कप्तानी से दिया इस्तीफा

अनधिकृत 53 दुकानों पर चला बुलडोजर

चितरंजन के सिमजोरी में अतिक्रमण कर बने दुकानों को धवस्त करता बुलडोजर।

मिहिजाम, प्रतिनिधि। चिरेका के अधिकार क्षेत्र सिमजोरी के भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा गैरकानूनी तौर पर निर्मित अनाधिकृत 53 दुकानों को बुधवार को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। सिमजोरी क्षेत्र के जिन दुकानों पर जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। वैसे अनाधिकृत दुकानों में रहने वालों को खाली करने के लिए मौखिक तौर पर 08 जनवरी को खाली कराने का आदेश चिरेका प्रशासन दिया गया था। एक महीने से ज्यादा पर्याप्त समय देने के बाद मौखिक तौर पर फिर से दोबारा उनको 15 फरवरी को खाली करने के लिए कहा गया था। परन्तु इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में प्रशासन द्वारा 09 मार्च को नोटिस जारी किया गया। जिसमें अतिक्रमणकारियों को 18 मार्च तक अनाधिकृत दुकानों को हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था। प्रशासन ने होली और लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण की कारवाई 04 जून तक लंबित रखा। इसके बाद चिरेका प्रशासन द्वारा 10 जून को अनाधिकृत दुकानों को खाली करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था। परंतु इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा आज बुधवार को 53 अनधिकृत दुकानों को अतिक्रमण मुक्त किया गया।

Dhanbad,Dtd-20.06.24 Page No-03

धनबाद, गुरुवार
20 जून, 2024
नगर संस्करण ***
मूल्य ₹ 5.00
पृष्ठ 14
www.jagran.com

दैनिक जागरण

झारखंड, बिहार, प. बंगाल, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से प्रकाशित

राज्यसभा सदस्य की बेटी ने फुटपाथ पर सो रहे युवक पर चढ़ाई कार 14
लगातार दूसरा शतक जड़ मंधाना ने रचा इतिहास 12

सिमजोरी में 53 अवैध दुकानों को किया ध्वस्त

संवाद सहयोगी, जागरण● मिहिजाम (जामताड़ा) : चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना के अधिकार क्षेत्र सिमजोरी बाजार में बुधवार को अनधिकृत 53 दुकानों को बुधवार को ध्वस्त कर दिया गया। बुधवार की सुबह 10 बजे से दुकानों को हटाने का कार्य प्रारंभ होकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इससे पूर्व आठ जनवरी को सिमजोरी क्षेत्र के दुकानों का निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण के पश्चात उन अनधिकृत दुकानों में रहनेवालों को खाली करने के लिए मौखिक तौर पर उसी दिन कहा गया था।

एक महीने से ज्यादा पर्याप्त समय देने के बाद मौखिक तौर पर दोबारा उन सभी को 15 फरवरी 2024 को खाली करने को कहा गया, लेकिन इसपर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में चिरेका प्रशासन द्वारा नौ मार्च 2024 को नोटिस जारी किया गया। जिसमें अतिक्रमणकारियों को 18 मार्च 2024 तक अनाधिकृत दुकानों को हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था।

अनधिकृत दुकान को तोड़वाता चिरेका प्रशासन ● जागरण

प्रशासन ने होली और लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए अतिक्रमण हटाने का कार्यवाही चार जून 2024 तक लंबित रखी थी। तत्पश्चात प्रशासन द्वारा 10 जून 2024 को अनधिकृत दुकानों को खाली करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। परंतु इसपर भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा 19 जून 2024 बुधवार को 53 अनधिकृत दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन द्वारा डीएम पश्चिम बर्धमान को भी संपूर्ण जानकारी दी गई थी।

Dhanbad,Dtd-20.06.24 Page No-16

दैनिक भास्कर जामताड़ा पुलआउट 20-06-2024

सिमजूरी में अनधिकृत 53 दुकानों को तोड़ा गया

भास्कर न्यूज़ | चित्तरंजन

सीएलडब्ल्यू चित्तरंजन के अधिकार क्षेत्र सिमजूरी के भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा गैर क़ानूनी तौर पर निर्मित अनधिकृत 53 दुकानों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। सिमजूरी क्षेत्र के जिन दुकानों को डेमोलिश किया गया उनका निरीक्षण 08 जनवरी 2024 को किया गया था तथा निरीक्षण के पश्चात उन अनधिकृत दुकानों में रहने वालों को खाली करने के लिए मौखिक तौर पर उसी दिन कहा गया था। एक महीने से ज्यादा पर्याप्त समय देने के बाद मौखिक तौर पर फिर से दोबारा उनको 15 फरवरी 2024 को खाली करने के लिए कहा गया था।

परन्तु इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में प्रशासन द्वारा दिनांक 09 मार्च 2024, को नोटिस जारी किया गया। जिस में अतिक्रमणकारियों को 18 तक अनधिकृत दुकानों को हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था। प्रशासन ने होली और लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए डेमोलिशन का कार्यवाही लंबित रखा था। तत्पश्चात प्रशासन द्वारा अनधिकृत दुकानों को खाली करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। परन्तु इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा को 53 अनधिकृत दुकानों को तोड़ दिया गया।

Kolkata,Dtd-20.06.24 Page No-04

दैनिक विश्वमित्र
• हिन्दी का प्राचीनतम राष्ट्रीय दैनिक •
दैनिक विश्वमित्र 1915-2024
वर्ष 109 ■ संख्या 169 कोलकाता बृहस्पतिवार ■ 20 जून, 2024 ■ ज्येष्ठ शुक्ल 13, सम्वत् 2081 मूल्य : 4 रुपए, कुल पृष्ठ 8

FOR BOOKING ADVERTISEMENT
CALL : 033 2288 2023
90627 71550
• Display
• Obituary
• Notice, Classified
विश्वमित्र

अनधिकृत 53 दुकानों का किया गया डेमोलिशन

चित्तरंजन, 19 जून (नि.प्र.)। सीएलडब्ल्यू चित्तरंजन के अधिकार क्षेत्र सिमजूरी के भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा गैर क़ानूनी तौर पर निर्मित अनधिकृत 53 दुकानों को आज पूरी तरह से डेमोलिश किया गया। उक्त डेमोलिशन कार्यक्रम दिनांक 19.06.2024 को लगभग 10.00 बजे प्रारंभ होकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सिमजूरी क्षेत्र के जिन दुकानों को आज डेमोलिश किया गया उनका निरीक्षण दिनांक 08.01.2024 को किया गया था तथा निरीक्षण के पश्चात उन अनधिकृत दुकानों में रहने वालों को खाली करने के लिए मौखिक तौर पर उसी दिन कहा गया था। एक महीने से ज्यादा पर्याप्त समय देने के बाद मौखिक तौर पर फिर से दोबारा उनको 15.02.2024 को खाली करने के लिए कहा गया था। परन्तु इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में प्रशासन द्वारा दिनांक 09.03.2024, को Public Premises (Eviction of unauthorized occupants) Act 1971 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस में अतिक्रमणकारियों को 18.03.2024 तक अनधिकृत दुकानों को हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था। प्रशासन ने होली और लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए डेमोलिशन का कार्यवाही 04.06.2024 तक लंबित रखा । तत्पश्चात प्रशासन द्वारा 10.06.2024 को अनधिकृत दुकानों को खाली करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। परन्तु इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा 19.06.2024 को 53 अनधिकृत दुकानों को डेमोलिश किया गया। प्रशासन द्वारा डीएम पश्चिम बर्धमान को भी सम्पूर्ण जानकारी दी गयी थी।

Kolkata,Dtd-20.06.24 Page No-03

भारतमित्र
खबरों की नई पहचान
BHARATMITRA, KOLKATA, THURSDAY, 20 JUNE, 2024

सिमजूरी में ढाई गयी 53 अनाधिकृत दुकानें

चित्तरंजन । सीएलडब्ल्यू चित्तरंजन के अधिकार क्षेत्र सिमजूरी के भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा गैर क़ानूनी तौर पर निर्मित अनधिकृत 53 दुकानों को आज पूरी तरह से डेमोलिश किया गया । उक्त डेमोलिशन कार्यक्रम बुधवार को प्रारंभ होकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया । सिमजूरी क्षेत्र के जिन दुकानों को आज डेमोलिश किया गया । उनका निरीक्षण दिनांक 08.01.2024 को किया गया था तथा निरीक्षण के पश्चात उन अनधिकृत दुकानों में रहने वालों को खाली करने के लिए मौखिक तौर पर उसी दिन कहा गया था । एक महीने से ज्यादा पर्याप्त समय देने के बाद मौखिक तौर पर फिर से दोबारा उनको 15.02.2024 को खाली करने के लिए कहा गया था। परन्तु इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में प्रशासन द्वारा दिनांक 09.03.2024, को नोटिस जारी किया गया । जिसमें अतिक्रमणकारियों को 18.03.2024 तक अनधिकृत दुकानों को हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था । प्रशासन ने होली और लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए डेमोलिशन का कार्यवाही 04.06.2024 तक लंबित रखा । तत्पश्चात प्रशासन द्वारा 10.06.2024 को अनधिकृत दुकानों को खाली करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया गया । परन्तु इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा 19.06.2024 को 53 अनधिकृत दुकानों को डेमोलिश किया गया। प्रशासन द्वारा डीएम पश्चिम बर्धमान को भी सम्पूर्ण जानकारी दी गयी थी ।